□□□□ □□□□

जनसत्ता 19 सितंबर, 2014: उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि उन विचाराधीन आरोपियों को

तुरंत जमानत पर रिहा किया जा□ जिन्होंने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है□ न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक कारावास पर जाकर इस प्रकार के कैदियों की रिहाई के□ आवश्यक प्रक्रिया की निगरानी करेंगे□ इन आदेशों के बाद लंबी अवधि से जेलों में बंद विचाराधीन कैदी रिहा हो सकेंगे□ पर उनका क्या होगा, जो थो□ समय के□ विचाराधीन कैदी के रूप में जेल भेज दि□ जाते हैं□ विचाराधीन कैदियों का जेलों में क्या काम?

यह पहली बार नहीं है कि लंबे समय से जेलों में बंद आरोपियों के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो□ वर्ष 2010 में राष्ट्रीय विधिक अभियान के तहत भी विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने का बी□ा उठाया गया था□ पर धरातल पर स्थितिज्यों की त्यों बनी हुई है□ देश की 1353 जेलों में बंद कुल तीन लाख पचासी हजार कैदियों में दो लाख चौवन हजार विचाराधीन कैदी हैं□ यानी लगभग दो तिहाई कैदी ऐसे हैं, जो बिना सजा के जेलों में बंद हैं□ इस परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला स्वागत-योग्य है□

विचाराधीन कैदियों की इतनी अधिक संख्या के पीछे मूलत: पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के अधिकार का दुरुपयोग है□ भारत में प्रतिवर्ष लगभग पचहत्तर लाख व्यक्ति गिरफ्तार कि□ जाते हैं□ इनमें लगभग अस्सी प्रतिशत व्यक्ति छोटे-मोटे अपराधों में संलिप्त होते हैं जिनमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है□ ऐसे अपराधियों के भाग जाने, अदालत में हाजिर न होने या गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका लगभग न के बराबर होती है□ इसलि□ उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में जेल भेजने का पर्याप्त कानूनी आधार पुलिस के पास नहीं होता□ फिर भी पुलिस इस प्रकार के सभी आरोपियों को जेल भेजती रहती है□ पुलिस ऐसा क्यों करती है?

आपातकाल के बाद पुलिस सुधारों के ल□ गठित धर्मवीर आयोग ने कहा था कि लगभग इक्सठ प्रतिशत गिरफ्तारियां जरूरी नहीं होतीं□ वर्ष 1994 में जोगेंद्र सिंह प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि पुलिस को केवल उन्हीं मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहि□ जहां इसकी जरूरत हो; जिन मामलों में गिरफ्तारी कि□ बिना तफ्तीश पूरी हो सकती हो वहां आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहि□□ वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में भी यही हिदायत दी गई थी□ आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से बनाई गई मलीमथ कमेटी ने भी वर्ष 2000 में अपनी रिपोर्ट में अनावश्यक गिरफ्तारियों पर चिंता व्यक्त करते हु□ कुछ सुझाव दि□ थे□ इस सबके बावजूद गिरफ्तारियों की संख्या साल-दर-साल ब□ती रही□ संभवत: पुलिस अपने सबसे प्रमुख अधिकार यानी गिरफ्तारी के अधिकार में किसी प्रकार की कटौती के सुझाव को मानने के ल□ तैयार नहीं थी□

संज्ञेय अपराधों में संलप्ति व्यक्तयिों को गरिफ्तार करने के लि□ कानून पुलसि को अधकि्त करता है□ पर इसका मतलब यह कतई नहीं है क प्रत्येक संज्ञेय अपराध में गरिफ्तारी जरूरी है□ कानून की इस नहिति भावना को वर्ष 2010 में पुन: दंड प्रक्रयिा संहति में □क नई धारा 41-□ जो□ कर स्पष्ट रूप से स्थापति कर दयिा गया था□ इस न□ प्रावधान के अनुसार, सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों में अगर पुलसि कसिी को गरिफ्तार करना चाहती है तो उसे गरिफ्तारी की जरूरत के कारण बता कर स्पष्ट करना होगा□

इसके बावजूद स्थति में सुधार नहीं हुआ□ राष्ट्रीय अपराध रकिर्ड ब्यूरो के आंक□ बताते हैं क 2010 के बाद दो वर्षों में ही देश में गरिफ्तार कुल व्यक्तयिों की संख्या लगभग चौहत्तर लाख से ब□ कर उनासी लाख हो गई□

पुलसि द्वारा कानून के साथ लुका-छपिी का खेल कुछ हद तक माना जा सकता है□ पर पुलसि द्वारा गरिफ्तार व्यक्तयिों को अदालतों द्वारा जमानत पर छो□ने के बजाय वचिाराधीन कैदी के रूप में जेल भेज देने की मानसकिता □क वचिारणीय वषिय है□ कानून की भावना यह है क सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों से संबंधति मुकदमों में आमतौर पर आरोपयिों को जमानत पर छो□ दयिा जाना चाहि□□ पर ऐसा नहीं हो रहा है□ अधकितर आरोपयिों को कुछ समय के लि□ वचिाराधीन कैदी के रूप में जेल जरूर भेजा जाता है□ इस मानसकिता को समझने और बदलने की जरूरत है□

आंक□ जाहरि करते हैं क लगभग अ□तीस प्रतशित वचिाराधीन कैदयिों को पहले तीन महीने के भीतर जेल से जमानत पर रहिा कर दयिा जाता है□ लगभग साठ प्रतशित वचिाराधीन कैदयिों को □क वर्ष के अंदर जमानत मलि जाती है□ यह समझ से परे है क जब साठ प्रतशित वचिाराधीन कैदयिों को साल भर के भीतर जमानत पर छो□ दयिा जाता है, तो फरि उन्हें जेल भेजा ही क्यों गया था? उन्हें वचिाराधीन कैदी के रूप में कुछ दनिों के लि□ जेल भेज कर सबक सखिाना इस प्रकार के कारावास का □कमात्र तर्क दखिाई देता है□ पर यह कानून की मूल भावना के वरुिद्ध है□

उच्चतम न्यायालय ने पुलसि और अदालतों की मानसकिता को बखूबी समझते हु□ हाल में अरनेश कुमार बनाम बहिार सरकार प्रकरण में पुलसि और अदालतों के लि□ स्पष्ट आदेश जारी कि□ हैं□ इनमें कहा गया है क पुलसि गरिफ्तारी करते समय दंड प्रक्रयिा संहति की धारा 41□ के प्रावधानों का सम्मान करते हु□ जरूरत के आधार पर ही आरोपयिों को गरिफ्तार करेगी□ अदालतों पर भी यह जम्मिेदारी डाली गई है क जब उनके समक्ष कसिी गरिफ्तार व्यक्ति को पेश कयिा जाता है तो इस बात की समीक्षा की जा□ क क्या गरिफ्तारी जरूरी थी? अगर नहीं, तो व्यक्ति को जमानत पर छो□ने पर वचिार कयिा जाना चाहि□□ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है क इन दशिा-नर्दिेशों की अवहेलना करने वाले पुलसि और न्यायकि अधकिारी अदालत की अवमानना के पात्र माने जा□ंगे□

काफी संख्या में ऐसे वचिाराधीन कैदी भी हैं जो कानून की अनभज्ञिता के चलते या उचति पैरवी के अभाव में जेलों में बंद हैं□ दंड प्रक्रयिा संहति की धारा 436□ उन वचिाराधीन कैदयिों को जमानत पर छो□ने का प्रावधान करती है जन्हिोंने अपने अभयिोग के लि□ संभावति अधकितम सजा का आधा समय जेल में गुजार लयिा हो□ धारा 436 यह प्रावधान भी करती है क जमानतीय मामलों में बंद उन आरोपयिों को □क सप्ताह के बाद उनके नजिी मुचलके पर रहिा कर दयिा जा□ जनिके लि□ कोई जमानत देने के लि□ तैयार नहीं है□ इसके अलावा, दंड प्रक्रयिा संहति की धारा 167(2) और धारा 437(6) में भी तफ्तीश और न्यायकि कार्यवाही में होने वाली देरी की वजह से वचिाराधीन कैदयिों को जमानत पर छो□ने के प्रावधान हैं, जनिका प्रयोग उतना नहीं हो रहा है जतिना होना चाहि□□

वचिाराधीन कैदयिों की संख्या कम करने के उद्देश्य से 2006 में दंड प्रक्रयिा संहति में □क महत्त्वपूर्ण संशोधन करके 'प्ली बार्गेनगि' का नया अध्याय जो□ा गया□ इसके तहत सात साल तक की सजा के मामलों में आपसी सहमति से मुकदमों का नपिटारा करने का वकिल्प प्रदान कयिा गया है□ अभयिुक्त अपना

अपराध स्वीकार करने के एवज में सजा में आधी से अधिक छूट प्राप्त करके रिहा हो सकता है। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में यह सिद्धांत ज्यादातर आरोपियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। पर भारत में यह प्रयोग विफल रहा है।

भारत में ‘प्ली बार्गेनिंग’ के प्रावधान व्यावहारिक नहीं हैं, जिसके कारण विचाराधीन कैदी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन प्रावधानों को व्यावहारिक बना कर विचाराधीन कैदियों की संख्या और कम की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में उन अपराधों की सूची दी गई है जिनमें पक्षकार आपस में समझौता करके लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं। इस सूची में अनेक छोटे अपराधों को जोड़ कर इस प्रावधान का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

पर इन सबसे ज्यादा कारगर प्रस्ताव मलीमथ कमेटी का था। उसने सुझाया था कि पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार देने वाले संज्ञेय अपराधों की संख्या कम की जाए। कुछ संगीन अपराधों को छोड़ कर बाकी मामलों को असंज्ञेय अपराध के रूप में पुन: वर्गीकृत किया जाए ताकि पुलिस इन मुकदमों में गिरफ्तारी ही न कर सके। इन अपराधों को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है कि पुलिस बिना अदालत की अनुमति के आरोपियों को गिरफ्तार न कर सके।

दुर्भाग्यवश इस सुझाव पर अभी तक सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान नहीं गया है, जबकि इस पर अमल करने की सबसे अधिक जरूरत है। भारत में न्याय-व्यवस्था का एक पहलू और है। अपराध-पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि पुलिस उसकी हिमायती बन कर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करे, चाहे मामला छोटे-मोटे अपराध का ही क्यों न हो। नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है कि पुलिस एक कानूनी तंत्र है, शिकायतकर्ता की पक्षधर एजेंसी नहीं। उन्हें यह भी बताने की जरूरत है कि अब प्रत्येक मुकदमे में आरोपियों को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए कानूनन जरूरी नहीं है।

भारत जैसे देश में संगीन अपराधों में शामिल कुछ अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करके कारावास में डालना हमेशा एक जरूरत रहेगी। पर छोटे अपराधों के मामलों में इतनी अधिक संख्या में विचाराधीन कैदियों को जेल में रखना न्याय के मान्य सिद्धांतों के विरुद्ध है। विचाराधीन कैदियों में लगभग पचहत्तर प्रतिशत बाइज्जत बरी हो जाते हैं; उनकी कैद के दिनों की भरपाई कौन करेगा? कारागार सजायाफ्ता कैदियों के ही आवास होने चाहिए।

इस स्थिति को स्थापित करने के लिए कानून में बदलाव के साथ-साथ पुलिस और न्यायिक अधिकारियों की मानसिकता बदलना भी बहुत जरूरी है। इस विषय पर न्याय-व्यवस्था के प्रत्येक अंग को संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। न्याय-व्यवस्था से जुड़े उच्चाधिकारियों को गैर-जरूरी गिरफ्तारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बना कर विचाराधीन कैदियों की संख्या और भी कम की जा सकती है।

फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/Jansatta

ट्वटिर पेज पर फॉलो करने केलि क्लकि करें- https://twitter.com/Jansatta